न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

बंटवारा वाद संख्या :– 53/2019
CIS No. :– PS/53/2019

औंकारेश्वर उर्फ अखिलेश कुमार तिवारी एवं अन्य **बनाम्** लालसा देवी एवं अन्य

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
पश्चात 14.12.2021	अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 त्रिपुरारी मिश्र अनुपस्थित। पक्षकार विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र दिनांक–27.10.2021 पर सुना गया। निस्तारण प्रार्थना पत्र दिनांक–27.10.2021 प्रतिवादी प्रथम पक्ष/प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादिनी एक बृद्ध महिला है। कागजात समय पर नहीं मिलने व कोरोना संक्रमण के कारण बयान तहरीरी प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है जिसके कारण प्रतिवादी प्रथम पक्ष/प्रतिवादी संख्या–1 को आदेश दिनांक 23.01.2020 के द्वारा बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। आदेश दिनांक 23.01.2020 को रिकॉल करते हुए प्रतिवादी प्रथम पक्ष/प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा दिनांक–27.10.2021 को दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण कर अभिलेखावलित किये जाने की याचना की गयी है। वादी द्वारा लिखित आपत्ति की गई है। सुना एंव अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र दिनांक–27.10.2021 प्रतिवादी प्रथम पक्ष/प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से आदेश दिनांक 23.01.2020 को रिकॉल कराए जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रस्तुत वाद के सभी विवाद्यक बिन्दुओं के गुण दोष के आधार पर प्रभावी एवं न्यायसंगत निस्तारण हेतु, जो कि किसी भी वाद के निस्तारण का श्रेयस्कर तरीका भी है, प्रतिवादी प्रथम पक्ष/प्रतिवादी संख्या–1 को प्रस्तुत वाद में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष/प्रतिवादी	

न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

लगातार 14.12.2021	संख्या–1 द्वारा बयान तहरीरी देरी से प्रस्तुत करने के कारण वाद की कार्यवाही में जो बिलम्ब हुआ है व वादीपक्ष को जो क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति हर्जा से किया जा सकता है। वाद के गुण–दोष के आधार पर निस्तारित करने के लिए सभी अभिवचनो का अभिलेख पर उपलब्ध होने हेतु उक्त बयान तहरीरी को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र–27.10.2021 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** प्रार्थना पत्र–27.10.2021 मु० 600/–रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिनांक 23.01.2020 को रिकाल करते हुए प्रतिवादी प्रथम पक्ष /प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा दिनांक–27.10.2021 को दाखिल जबाबदेही को ग्रहण करते हुए अभिलेखावलित किया जाता है। हर्जा अदायगी पर ही आदेश दिनांक 23.01.2020 रिकॉल माना जाएगा। अभिलेख हर्जा अदायगी/अग्रीम कार्यवाही हेतु दिनांक 06.01.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्यायालय कक्ष–4, नरकटियागंज।	